सीसीटीएनएस / अतिआवश्यक।

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रॉक:टीएस–सीसीटीएनएस–06/ 2010[VIII] **दिनांक: 13/10/2017**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक,समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक,समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
पुलिस महानिरीक्षक, रेलवेज, लखनऊ/ इलाहाबाद।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक,रेलवेज, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:– **सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रदेश के पुलिस थानों/ जी0आर0पी0 के थानों पर दर्ज किये जा रहे गैंगस्टर अभियोगों के सम्बन्ध में निर्देश।**

कृपया अवगत कराना है कि सीसीटीएनएस पोर्टल पर गैंगस्टर अभियोगों को दर्ज कर दूसरे थाना पर स्थानान्तरित कर दिया जा रहा है, फलत: दूसरे थाना पर अपराध संख्या देकर विवेचना की जाती है। जिसको निस्तारित करने में जनपद स्तर पर असुविधा हो रही है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि गैंगस्टर के अपराधों को दर्ज करते समय दूसरे थाना को स्थानान्तरित न कर, दूसरे थाना के विवेचक को अनुसंधान अधिकारी की भूमिका (I.O.Role) गैंगस्टर दर्ज किये जा रहे थाना पर ही प्रदान कर दी जाए। **उदाहरणस्वरूप, थाना हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर अभियोग अगर थाना हुसैनगंज स्थानान्तरित होता है तो थाना हुसैनगंज के विवेचक को थाना हजरतगंज पर ही (I.O.Role) प्रदान कर दिया जाय। सारी अग्रिम कार्यवाही जैसे गिरफ्तारी आदि उक्त हुसैनगंज के विवेचक द्वारा थाना हजरतगंज पर ही की जा सकेगी।**

3– उपरांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

13/10

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, उ0प्र0,
लखनऊ